

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

गृह विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 में आपदा राहत कार्य हेतु धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक पी.ए.सी. मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-पी०ए०सी०-3-813-11, दिनांक 27 जुलाई, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा से निपटने हेतु 40 रबराइज्ड रेस्क्यू बोट क्रय करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन कुल धनराशि रु० 240.00 लाख (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्य हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :2226(1)/1-10-2011-14(15)/09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2-पुलिस महानिदेश पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ
- 3-मण्डलायुक्त, लखनऊ
- 4-अपर पुलिस महानिदेश, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ
- 5-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 6-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 9-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

आज्ञा से,

(के0के0 सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।